



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2026	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम नवीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4205 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा को चारागाह व चारागाह में दर्ज खसरा नंबर 4043 रकबा 1.47 है0 में से 1.25 है0 को प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है।</p> <p>प्रार्थी द्वारा भू-प्रबंध विभाग द्वारा की गई अशुद्धी को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया है। भू-प्रबंध विभाग की इस त्रुटी को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके। धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत नक्शा शुद्ध किया जाना उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०) </p>	<p style="text-align: center;">  </p>

